20.09.21

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया। बहस सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात, फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान दिनांक 19.10.1985 का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि राजस्व ग्राम मावण्डा खुर्द पटवार हल्का मावण्डा खुर्द स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1011, 1013, 1020, 1021, 1022, 1023 कुल किता 6 कुल रकबा 1.70 हैक्टे0 प्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अपनी सहखातेदारी की भूमि की पत्थरगढ़ी का अनुतोष चाहा है। अतः पडौसी खातेदारान, सहखातेदारान व प्रार्थीगण को सूचित कर नवीन नक्शें के मुताबिक सीमाज्ञान कर निर्विवादित रहने की स्थिति में पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश :

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मावण्डा खुर्द पटवार हल्का मावण्डा खुर्द स्थित भूमि खसरा 1011, 1013, 1020, 1021, 1022, 1023 कुल किता 6 कुल रकबा 1.70 हैक्टे0 की चर्तुसीमाओं की प्रार्थीगण सहखातेदारान एवं पडौसी खातेदारान को सूचित कर नवीन नक्शें के मुताबिक सीमाज्ञान कर निर्विवादित रहने की स्थिति में पत्थरगढ़ी की जावे। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.27 16:42:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner